<u>न्यायालय: – श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> जिला बैतूल

<u>दांडिक प्रकरण क :- 163 / 12</u> <u>संस्थापन दिनांक :- 29 / 03 / 12</u> फाईलिंग नं. 233504000272012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... <u>अभियोज</u>न

वि रू द्व

सोनू उर्फ दुर्गेश पिता मोतीराम उम्र 22 वर्ष, निवासी इंदिरा कॉलोली आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 23.05.2018 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा—25 (1—बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 29. 03.2012 को समय 07:30 बजे गीतांजली होटल के सामने मेन रोड आमला सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी मय अनुज्ञापत्र के अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 में विनिर्दिष्ट मापदंड से अधिक लंबाई चौड़ाई का आयुध धारदार लोहे की छुरी अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखा।
- 2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 29.03. 2012 को थाना प्रभारी आर.के. दुबे को करबा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गीतांजली होटल के सामने एक व्यक्ति लोहे की छुरी लेकर लोगों को डरा धमका रहा है जिस पर वह हमराह स्टाफ के मौके पर पहुंचा तथा अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ा। अभियुक्त द्वारा छुरी रखने बाबत कोई कागजात नहीं होना बताये जाने पर उसने मौके पर अभियुक्त से एक छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 124/12 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 29.03.2012 को समय 07:30 बजे गीतांजली होटल के सामने मेन रोड आमला सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी मय अनुज्ञापत्र के अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 में विनिर्दिष्ट मापदंड से अधिक लंबाई चौड़ाई का आयुध धारदार लोहे की छुरी अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखा ?"

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 5 आर.के. दुबे (अ.सा.—2) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 29.03. 2012 को थाना आमला में टी.आई. के पद पर पदस्थ रहते हुए कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर वह हमराह स्टाफ के साथ गीतांजली होटल के सामने पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की छुरी लिए लोगों को उस धमका रहा था जिस पर उसने अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ा एवं अभियुक्त द्वारा छुरी रखने के संबंध में दस्तावेज पेश न करने पर उसने गवाहों के समक्ष अभियुक्त से एक लोहे की छुरी जप्त कर (प्रदर्श प्री—1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री—2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 124/12 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—3) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल ए1 को वही आयुध होना बताया है जो उसने अभियुक्त से जप्त किया था।
- 6 प्रकाश सिंह (अ.सा.—1) ने दिनांक 29.03.2012 को थाना आमला में आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को वह थाना प्रभारी के साथ हमराह गीतांजली होटर के सामने गया था जहां पर अभियुक्त हाथ में छुरी लेकर लोगों को डरा धमका रहा था जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया तथा अभियुक्त द्वारा छुरी रखने के संबंध में लायसेंस नहीं होना बताये जाने पर अभियुक्त के कब्जे से छुरी जप्त की गयी एवं उसे गिरफ्तार कर थाने लाया गया था।
- 7 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी लालू एवं अखलेश को अदम पता किया गया है। अभिलेख पर प्रकाश सिंह (अ.सा.—1) एवं आर.के. दुबे (अ.सा.—2) की साक्ष्य

उपलब्ध है। न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ए.आई.आर. 1973 एससी 2783 के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

- 8 आर.के. दुबे (अ.सा.—2) ने न्यायालयीन परीक्षण में सूचना मिलने पर गीतांजली होटल मौके पर जाना। अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ना, अभियुक्त से लोहे की छुरी जप्त करना, उसे गिरफ्तार करने के उपरांत थाना वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है एवं प्रकाश सिंह (अ.सा.—1) ने मुख्य परीक्षण में आर.के. दुबे के साथ हमराह जाना, अभियुक्त को घोराबंदी कर पकड़ना तथा अभियुक्त से लोहे की छुरी जप्त करना बताया है।
- 9 प्रकाश सिंह (अ.सा.—1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि मौका स्थल गीतांजली होटल पर जब वे पहुंचे तो बहुत भीड़भाड़ थी। अभियुक्त घटना स्थल पर किसको डरा रहा था उसकी उसे जानकारी नहीं है। घटना स्थल से थाने की दूरी लगभग दो—तीन सौ मीटर है। प्रकरण में समस्त कार्यवाही थाना प्रभारी आर.के. दुबे द्वारा की गयी थी। आर.के. दुबे (अ.सा.—2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जप्ती पत्रक में जप्तशुदा छुरी की नाप किससे की गयी थी इस बात का उल्लेख नहीं है। प्रकरण में रोजनामचा सान्हा संलग्न नहीं है।
- 10 जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी—1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी—2) में अपराध क्रमांक लेख है जिससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही के उपरांत तैयार किये गये होंगे। विवेचक साक्षी आर.के. दुबे के कथनों से जप्तशुदा छुरी की नापजोप किये जाने के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण प्रकट नहीं हो रहा है। रोजनामचा सान्हा भी प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिससे निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि प्रकरण में जप्तशुदा आयुध वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था।
- 11 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 29.03.2012 को समय 07:30 बजे गीतांजली होटल के सामने मेन रोड आमला सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी मय अनुज्ञापत्र के अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 में विनिर्दिष्ट मापदंड से अधिक लंबाई चौड़ाई का आयुध धारदार लोहे की छुरी अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखा। अतः अभियुक्त सोनू उर्फ दुर्गेश को धारा 25(1—बी)बी

आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

- 12 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।
- 13 चूंकि अभियुक्त अभियुक्त न्यायालय की अभिरक्षा में है। अतः उसे रिहा किया जावे।
- 14 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)